

परिशिष्ट 1
(देखें पैरा 1.5.1)

"चयनित क्षेत्रों-कम्प्यूटर साफ्टवेयर, अनुषंगियों सहित आटोबाइल्स, इस्पात तथा व्यापार में चयनित कम्पनियों के निर्धारण" पर समीक्षा

कम्पनियों की संख्या, जिनके आयकर निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई, उनके संबंध में निगमित कर मांग तथा कुल निगमित कर संग्रहणों की प्रतिशतता के रूप में उनकी कर मांग

(करोड़ रुपये में)

| निर्धारण वर्ष | क्षेत्र | कम्पनियों की कुल संख्या जिनके निर्धारण अभिलेखों की जांच की गई | विभाग के अनुसार कुल कर मांग | पूर्व वर्ष के दौरान निगमित कर संग्रहण | कुल निगमित कर संग्रहण की % के रूप में कर मांग |
|---------------|-----------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| 2002-03 | आटोमोबाइल तथा अनुषंगी | 163 | 845.18 | | |
| | कम्प्यूटर साफ्टवेयर | 175 | 413.99 | | |
| | इस्पात | 229 | 122.61 | | |
| | व्यापार | 342 | 290.07 | | |
| जोड़ | | 909 | 1671.85 | 36609 | 4.57 |
| 2003-04 | आटोमोबाइल तथा अनुषंगी | 175 | 1528.22 | | |
| | कम्प्यूटर साफ्टवेयर | 201 | 1228.05 | | |
| | इस्पात | 262 | 533.77 | | |
| | व्यापार | 363 | 395.02 | | |
| जोड़ | | 1001 | 3685.06 | 46172 | 7.98 |
| 2004-05 | आटोमोबाइल तथा अनुषंगी | 179 | 1808.79 | | |
| | कम्प्यूटर साफ्टवेयर | 212 | 503.83 | | |
| | इस्पात | 270 | 932.43 | | |
| | व्यापार | 389 | 579.32 | | |
| जोड़ | | 1050 | 3824.37 | 63562 | 6.02 |

परिशिष्ट-2

अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित आटोमोबाइल तथा अनुपंगियों, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, इस्पात तथा व्यापार क्षेत्रों व लाभ अर्जित रही चयनित कम्पनियों के संबंध में कर की प्रभावी दर तथा कर व्यय (देखें पैरा 1.5.2 एवं 1.5.3)

| क्षेत्र | लेखापरीक्षा द्वारा जांचित कम्पनियों की संख्या | लाभ-हानि लेखे अनुसार कर पूर्व निवल लाभ | अध्याय VI ए के अन्तर्गत कटौतियों के | विभाग द्वारा निर्धारित कुल कर योग्य आय | लेखापरीक्षा अनुसार कुल कर योग्य आय | विभाग के अनुसार कर मांग | लेखापरीक्षा के अनुसार देय कर मांग | प्रभावी कर दर (वि) | प्रभावी कर दर (ले) | आयकर अधिनियम के अर्धीन कुल कटौतियाँ | कुल कर व्यय | अ VI ए के संबंध में कर व्यय | अध्याय VI ए के छेड़कर कटौतियों के संबंध में कर व्यय | |
|------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|---|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| निर्धारण वर्ष 2002-03 | | | | | | | | | | | | | | |
| आटोमोबाइल तथा अनुपंगी | 118 | 3303.7 | 90.6 | 2543.3 | 2571.1 | 816.5 | 826.3 | 25 | 25 | 732.6 | 641.9 | 256.4 | 31.7 | 224.7 |
| कम्प्यूटर साफ्टवेयर | 126 | 2854.9 | 250.3 | 1129.9 | 1499.8 | 410.3 | 552.9 | 14 | 19 | 1355.1 | 1104.7 | 474.3 | 87.6 | 386.7 |
| इस्पात | 143 | 512.2 | 97.7 | 303.3 | 362.1 | 106.5 | 157.7 | 21 | 31 | 150.1 | 52.4 | 52.5 | 34.2 | 18.3 |
| व्यापार | 277 | 1165.7 | 234.5 | 732.7 | 788.3 | 258.9 | 292.3 | 22 | 25 | 377.4 | 142.9 | 132.1 | 82.1 | 50.0 |
| जोड़ | 664 | 7836.4 | 673.2 | 4709.2 | 5221.3 | 1592.2 | 1829.2 | 20 | 23 | 2615.1 | 1941.9 | 915.3 | 235.6 | 679.7 |
| निर्धारण वर्ष 2003-04 | | | | | | | | | | | | | | |
| आटोमोबाइल तथा अनुपंगी | 131 | 3610.5 | 189.0 | 3383.2 | 3416.2 | 1229.3 | 1237.2 | 34 | 34 | 194.2 | 5.2 | 68.0 | 66.2 | 1.8 |
| कम्प्यूटर साफ्टवेयर | 162 | 4097.7 | 302.5 | 2066.1 | 2386.8 | 853.1 | 896.2 | 21 | 22 | 1710.9 | 1408.4 | 598.8 | 105.9 | 492.9 |
| इस्पात | 173 | 534.1 | 81.3 | 310.5 | 308.3 | 113.6 | 106.7 | 21 | 20 | 225.7 | 144.4 | 79.0 | 28.5 | 50.5 |
| व्यापार | 309 | 1247.5 | 80.6 | 1096.2 | 1181.9 | 393.3 | 430.7 | 32 | 35 | 65.6 | (-15.0) | 23.0 | 28.2 | (-5.3) |
| जोड़ | 775 | 9489.7 | 653.4 | 6856.0 | 7293.3 | 2589.1 | 2670.7 | 27 | 28 | 2196.4 | 1543.0 | 768.7 | 228.7 | 540.0 |
| निर्धारण वर्ष 2004-05 | | | | | | | | | | | | | | |
| आटोमोबाइल तथा अनुपंगी | 146 | 7354.1 | 276.8 | 5150.9 | 6373.1 | 1780.3 | 2069.4 | 24 | 28 | 981.1 | 704.3 | 343.4 | 96.9 | 246.5 |
| कम्प्यूटर साफ्टवेयर | 173 | 7484.0 | 273.1 | 1312.6 | 2476.5 | 487.6 | 889.9 | 07 | 12 | 5007.5 | 4734.4 | 1752.6 | 95.6 | 1657.0 |
| इस्पात | 199 | 811.9 | 147.3 | 492.9 | 546.8 | 180.7 | 193.4 | 22 | 24 | 265.1 | 117.7 | 92.8 | 51.6 | 41.2 |
| व्यापार | 334 | 2062.5 | 167.6 | 1728.2 | 1780.0 | 575.7 | 594.9 | 28 | 29 | 282.5 | 114.8 | 98.9 | 58.7 | 40.2 |
| जोड़ | 852 | 17712.5 | 864.8 | 8684.6 | 11176.4 | 3024.3 | 3747.6 | 17 | 21 | 6536.1 | 5671.3 | 2287.6 | 302.7 | 1984.9 |

जारी.....

* यह संख्या ऋणात्मक है क्योंकि लाभ तथा हानि लेखे के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ निर्धारणों के दौरान उल्लेखित गलतियों की सीमा तक जो होना चाहिए वी अपेक्षा निम्न होना दर्शाया गया है। यदि ऐसी गलतियों पर लाभ तथा हानि लेखे में ध्यान दिया जाता तो यह संख्या धनात्मक होगी।

परिशिष्ट 2

सभी 3 वर्गों में लाभ वाली तथा अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित अनुंगियों सहित आटोमोबाइल, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, इस्पात तथा व्यापार क्षेत्रों की चयनित कम्पनियों के संबंध में कर की प्रभावी दर तथा कर व्यय

| क्षेत्र | लेखापरीक्षा द्वारा जाचित कम्पनियों की संख्या | लाभ-हानि लेखे अनुसार कर पूर्व निवल लाभ | अध्याय VI ए के अन्तर्गत कर्तव्यी | विभाग निर्धारित कर योग्य आय | विभाग द्वारा कुल योग्य आय | लेखापरीक्षा के अनुसार कुल कर योग्य आय | विभाग के अनुसार कर मांग | लेखापरीक्षा के अनुसार देय कर मांग | प्रभावी कर दर (दि) | प्रभावी कर दर (ले) | आयकर अधिनियम के अधीन कुल कर्तव्यी | कुल कर व्यय | कुल कर व्यय | अ VI ए के संबंध में कुल व्यय | अध्याय VI ए को छोड़कर कर्तव्यियों के संबंध में व्यय |
|------------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| निर्धारण वर्ष 2002-03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| आटोमोबाइल तथा अनुंगी | 84 | 2468.2 | 80.2 | 2222.0 | 2238.3 | 706.1 | 712.1 | 29 | 29 | 229.9 | 149.6 | 80.5 | 28.1 | 52.4 | |
| कम्प्यूटर साफ्टवेयर | 67 | 1331.1 | 177.8 | 475.3 | 518.8 | 172.2 | 184.8 | 13 | 14 | 812.3 | 634.4 | 284.3 | 62.2 | 222.1 | |
| इस्पात | 67 | 104.4 | 32.6 | 42.8 | 46.7 | 15.7 | 17.0 | 15 | 16 | 57.6 | 25.1 | 20.2 | 11.4 | 8.8 | |
| व्यापार | 182 | 776.5 | 170.6 | 533.3 | 588.6 | 185.8 | 219.2 | 24 | 28 | 187.9 | 17.3 | 65.8 | 59.7 | 6.0 | |
| जोड़ | 400 | 4680.1 | 461.3 | 3273.4 | 3392.5 | 1079.8 | 1133.0 | 23 | 24 | 1287.7 | 826.4 | 450.7 | 161.4 | 289.2 | |
| निर्धारण वर्ष 2003-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| आटोमोबाइल तथा अनुंगी | 84 | 3110.8 | 184.9 | 3016.0 | 3031.4 | 1103.6 | 1110.5 | 35 | 36 | 79.4 | (-1105.5°) | 27.8 | 64.7 | (-336.9°) | |
| कम्प्यूटर साफ्टवेयर | 67 | 1376.9 | 107.6 | 655.7 | 766.2 | 252.0 | 283.4 | 18 | 21 | 610.7 | 503.0 | 213.7 | 37.7 | 176.1 | |
| इस्पात | 67 | 94.3 | 30.4 | 63.1 | 66.0 | 26.3 | 25.3 | 28 | 27 | 28.4 | (-2.1°) | 9.9 | 10.7 | (-0.7°) | |
| व्यापार | 182 | 936.1 | 67.6 | 811.0 | 889.5 | 299.3 | 341.1 | 32 | 36 | 46.6 | (-21.0°) | 16.3 | 23.7 | (-7.4°) | |
| जोड़ | 400 | 5518.2 | 390.7 | 4545.8 | 4753.1 | 1681.1 | 1760.3 | 30 | 32 | 765.1 | 374.5 | 267.8 | 136.7 | 131.1 | |
| निर्धारण वर्ष 2004-05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| आटोमोबाइल तथा अनुंगी | 84 | 4177.3 | 161.7 | 3650.9 | 3652.2 | 1282.3 | 1282.5 | 31 | 31 | 525.1 | 363.4 | 183.8 | 56.6 | 127.2 | |
| कम्प्यूटर साफ्टवेयर | 67 | 1703.5 | 158.6 | 470.9 | 495.7 | 170.5 | 179.5 | 10 | 11 | 1207.8 | 1049.2 | 422.7 | 55.5 | 367.2 | |
| इस्पात | 67 | 158.9 | 20.8 | 98.5 | 150.2 | 40.0 | 54.3 | 25 | 34 | 8.7 | (-12.1°) | 3.0 | 7.3 | (-4.2°) | |
| व्यापार | 182 | 1401.4 | 104.0 | 1016.3 | 1056.7 | 363.1 | 381.1 | 26 | 27 | 344.7 | 240.7 | 120.6 | 36.4 | 84.3 | |
| जोड़ | 400 | 7441.2 | 445.1 | 5236.7 | 5354.8 | 1856.0 | 1897.3 | 25 | 25 | 2086.3 | 1641.2 | 730.2 | 155.8 | 574.4 | |

* यह संख्या ऋणात्मक है क्योंकि लाग तथा हानि लेखे के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ निर्धारणों के दौरान उल्लेखित गलतियों की सीमा तक जो होना चाहिए की अपेक्षा निम्न होना दर्शाया गया है। यदि ऐसी गलतियों पर लाभ तथा हानि लेखे में ध्यान दिया जाता तो यह संख्या धनात्मक होगी।

2007 की प्रतिवेदन संख्या 8 (निपादन लेखापरीक्षा)

परिशिष्ट 2

3 वर्षों में से एक या दो वर्षों में लाभ वाली तथा उन वर्षों में अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित अनुपुणियों सहित आटोमोबाइल, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, इस्पात तथा व्यापार क्षेत्रों की चयनित कम्पनियों के संबंध में कर व प्रभावी दर तथा कर व्यय

(करोड़ रुपये में)

| क्षेत्र | लेखापरीक्षा द्वारा जांचित कम्पनियों की संख्या | लाभ-हानि लेखे अनुसार कर पूर्व निवल लाभ | अध्याय VI के अन्तर्गत कर्तवियों | विभाग द्वारा निर्धारित कुल कर योग्य आय | लेखापरीक्षा के अनुसार कुल कर योग्य आय | विभाग के अनुसार कर मांग | लेखापरीक्षा के अनुसार देय कर मांग | प्रभावी कर दर (वि) | प्रभावी कर दर (ले) | आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कुल कर्तवियां | कुल कर व्यय | अ V/E के संबंध में कर व्यय | अध्याय VI/E के अंतर्गत कर्तवियों के संबंध में कर व्यय | |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------|----------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| निर्धारण वर्ष 2002-03 | | | | | | | | | | | | | | |
| आटोमोबाइल तथा अनुपुणी | 34 | 835.5 | 10.4 | 321.3 | 332.8 | 110.4 | 114.2 | 13 | 14 | 502.7 | 492.3 | 175.9 | 3.6 | 172.3 |
| कम्प्यूटर साफ्टवेयर | 59 | 1523.8 | 72.5 | 654.6 | 981.0 | 238.1 | 368.2 | 16 | 24 | 542.8 | 470.3 | 190.0 | 25.4 | 164.6 |
| इस्पात | 76 | 407.8 | 65.2 | 260.5 | 315.4 | 90.9 | 140.6 | 22 | 34 | 92.4 | 27.3 | 32.4 | 22.8 | 9.5 |
| व्यापार | 95 | 389.2 | 63.9 | 199.4 | 199.7 | 73.1 | 73.1 | 19 | 19 | 189.5 | 125.6 | 66.3 | 22.4 | 44.0 |
| जोड़ | 264 | 3156.3 | 211.9 | 1435.8 | 1828.9 | 512.5 | 696.2 | 16 | 22 | 1327.4 | 1115.5 | 464.6 | 74.2 | 390.4 |
| निर्धारण वर्ष 2003-04 | | | | | | | | | | | | | | |
| आटोमोबाइल तथा अनुपुणी | 47 | 499.6 | 4.1 | 367.2 | 384.9 | 125.6 | 126.7 | 25 | 25 | 114.8 | 110.7 | 40.2 | 1.4 | 38.7 |
| कम्प्यूटर साफ्टवेयर | 95 | 2720.8 | 194.8 | 1410.4 | 1620.6 | 601.1 | 612.8 | 22 | 23 | 1100.2 | 905.4 | 385.1 | 68.2 | 316.9 |
| इस्पात | 106 | 439.7 | 50.9 | 247.4 | 242.4 | 87.3 | 81.4 | 20 | 19 | 197.4 | 146.5 | 69.1 | 17.8 | 51.3 |
| व्यापार | 127 | 311.3 | 13.0 | 285.3 | 292.4 | 94.0 | 89.6 | 30 | 29 | 19.0 | 6.0 | 6.6 | 4.6 | 2.1 |
| जोड़ | 375 | 3971.5 | 262.8 | 2310.2 | 2540.2 | 908.0 | 910.5 | 23 | 23 | 1431.3 | 1168.5 | 501.0 | 92.0 | 409.0 |
| निर्धारण वर्ष 2004-05 | | | | | | | | | | | | | | |
| आटोमोबाइल तथा अनुपुणी | 62 | 3176.8 | 115.0 | 1500.0 | 2720.8 | 498.0 | 786.9 | 16 | 25 | 456.0 | 341.0 | 159.6 | 40.3 | 119.3 |
| कम्प्यूटर साफ्टवेयर | 106 | 5780.4 | 114.5 | 841.8 | 1980.8 | 317.1 | 710.5 | 05 | 12 | 3799.7 | 3685.2 | 1329.9 | 40.1 | 1289.8 |
| इस्पात | 132 | 652.9 | 126.5 | 394.3 | 396.6 | 140.6 | 139.1 | 22 | 21 | 256.3 | 129.8 | 89.7 | 44.3 | 45.4 |
| व्यापार | 152 | 661.1 | 63.7 | 711.9 | 723.4 | 212.6 | 213.8 | 32 | 32 | (-)62.2* | (-)125.9* | (-)21.8* | 22.3 | (-)44.1* |
| जोड़ | 452 | 10271.3 | 419.7 | 3448.0 | 5821.5 | 1168.3 | 1850.3 | 11 | 18 | 4449.8 | 4030.1 | 1557.4 | 146.9 | 1410.5 |

जारी.....

* यह संख्या ऋणालम्बक है क्योंकि लाभ तथा हानि लेखे के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ निर्धारणों के दौरान उल्लेखित गलतियों की सीमा तक जो होना चाहिए वी अपेक्षा निम्न होना दर्शाया गया है। यदि ऐसी गलतियों पर लाभ तथा हानि लेखे में ध्यान दिया जाता तो यह संख्या धनात्मक होगी।

अनुगंगियों सहित आटोमोबाइल, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, इस्पात तथा व्यापार क्षेत्रों की चयनित कम्पनियों के संबंध में में कर की प्रभावी दर तथा कर व्यय

1. यहाँ केवल वे कम्पनियां शामिल की गई हैं जिनकी आय अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित की गई हैं।
2. कर की प्रभावी दर को निम्नवत लिया गया है:
कर की प्रभावी दर (विभाग) "विभाग के अनुसार कर मांग" (कालम 7) तथा "लाभ एवं हानि लेखे के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ" (कालम 3) के बीच अनुपात के रूप में
कर की प्रभावी दर (लेखापरीक्षा) "लेखापरीक्षा अनुसार देय कर" (कालम 8) और "लाभ एवं हानि लेखे के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ" (कालम 3) के बीच अनुपात के रूप में
कर की प्रभावी दर (लेखापरीक्षा) और कर की प्रभावी दर (विभाग) के बीच अन्तर लेखापरीक्षा के कहने पर की गई वृद्धियों का एक उपाय है।
3. "लेखापरीक्षा अनुसार कुल आय" (कालम 6) और "लाभ तथा हानि लेखे के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ" (कालम 3) के बीच अन्तर अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध करौतियों के कुल जोड़ के रूप में लिया गया है (कालम 11)।
4. "अधिनियम के अन्तर्गत कुल करौतियां" (कालम 1) और "अध्याय VI ए के अन्तर्गत करौतियां" (कालम 4) के बीच अन्तर अध्याय VI ए करौतियों को छोड़कर करौतिय" (कालम 12) के रूप में लिया गया है।
5. करौतियों का 35 प्रतिशत कर व्यय के लिए एक अनुमान के रूप में माना गया है (35 % की निगम कर दर को ध्यान में रखकर तथा अधिभार की अनदेखी करे)।

परिशिष्ट 3
 (बिनाग द्वारा की गई वृद्धि/संश्लेषण कर अनुपालन (व्यक्ति क्षेत्रों की सभी लाभ वाली कम्पनियों)
 (खंड पैरा 1.5.11))

| निर्धारण दी | क्षेत्र | अधिनियम के सामान्य प्रारम्भों के अन्तर्गत निर्धारित लाभ वाली कम्पनियों की संख्या | कम्पनियों द्वारा विक्रयित कुल आय | बिनाग द्वारा निर्धारित कुल आय | लेखापरीक्षा द्वारा विक्रयित कुल आय | बिनाग द्वारा वृद्धि (का 5-का 4) | लेखापरीक्षा द्वारा विक्रयित कुल आय तथा विक्रयित कुल आय के बीच अन्तर (समावृत्त वृद्धि) (का 6-का 4) | कुल आय (लेखापरीक्षा अनुसार) के प्रतिशत के रूप में वसूल न की गई सम्पत्ति (का 8-का 7)/ का 6 | विक्रयी दाखिल करने के तार पर कम्पनियों द्वारा अनुपालन (का 4 का प्रतिशत के रूप में का 8) % में |
|-------------|-------------|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2002-03 | ओटोमोबाईल | 118 | 1881.08 | 2543.3 | 2571.1 | 662.22 | 690.02 | 1.08 | 27 |
| | साफ्टवेयर | 126 | 473.99 | 1129.9 | 1499.8 | 655.87 | 1025.85 | 24.67 | 68 |
| | इस्पात | 143 | 143.58 | 303.3 | 362.1 | 159.75 | 218.52 | 16.23 | 60 |
| | व्यापार | 277 | 599.29 | 732.7 | 788.3 | 133.37 | 189.01 | 7.06 | 24 |
| 2003-04 | जोड़ | 664 | 3097.9 | 4709.2 | 5221.3 | 1611.21 | 2123.39 | 9.81 | 41 |
| | ओटोमोबाईल | 131 | 3106.5 | 3383.2 | 3416.2 | 276.65 | 309.73 | 0.97 | 09 |
| | साफ्टवेयर | 162 | 2021.44 | 2066.1 | 2386.8 | 44.68 | 365.39 | 13.44 | 15 |
| | इस्पात | 173 | 186.94 | 310.5 | 308.3 | 123.53 | 121.38 | (-30.70) | 39 |
| | व्यापार | 309 | 973.31 | 1096.2 | 1181.9 | 122.94 | 208.60 | 7.25 | 18 |
| | जोड़ | 775 | 6288.2 | 6856.0 | 7293.3 | 567.81 | 1005.10 | 6.00 | 14 |
| 2004-05 | ओटोमोबाईल | 146 | 5065.7 | 5150.9 | 6373.1 | 85.15 | 1307.3 | 19.18 | 21 |
| | साफ्टवेयर | 173 | 3018.73 | 1312.6 | 2476.5 | (-1706.1) | (-542.22) | 47.00 | 22 |
| | इस्पात | 199 | 431.20 | 492.9 | 546.8 | 61.67 | 115.59 | 9.86 | 21 |
| | व्यापार | 334 | 1666.16 | 1728.2 | 1780.0 | 62.05 | 113.85 | 2.91 | 06 |
| | जोड़ | 852 | 10181.8 | 8684.6 | 11176.4 | (-1497.2) | 994.53 | 22.29 | 09 |

जरी.....

परिशिष्ट 3
 विभाग द्वारा की गई वृद्धियाँ/संशोधन कर अनुपालन (सभी तीन वर्षों में लागू वाली चयनित कंपनियों)

| निर्धारण वर्ष | क्षेत्र | विवारक्षीय सभी तीन वर्षों में लागू की गई वृद्धियाँ/संशोधन कर अनुपालन के अतिरिक्त के सामान्य प्रवर्धनों के अन्तर्गत निर्धारित कंपनियों की संख्या | कंपनियों द्वारा विकसित कुल आय | विभाग द्वारा निर्धारित कुल आय | लेखापरिष्ठा द्वारा विकसित कुल आय | वृद्धि (का 5-का 4) | लेखापरिष्ठा द्वारा विकसित कुल आय तथा विकसित कुल आय के बीच अंतर (सम्बन्धित वृद्धि) (का 6-का 4) | कुल आय के प्रतिशत के रूप में वसूली न की गई सामान्य (लेखापरिष्ठा अनुसार) (का 8-का 7)/ का 6 | विकरणी वसूल करने के संदर्भ पर कंपनियों द्वारा अनुपालन (का 4 का प्रतिशत के रूप में का 8) |
|---------------|-----------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2002-03 | ऑटोमोबाइल | 84 | 1618.12 | 2222.0 | 2238.3 | 603.93 | 620.21 | 0.73 | 28 |
| | साफ्टवेयर | 67 | 358.18 | 475.3 | 518.8 | 117.10 | 160.65 | 8.39 | 31 |
| | इस्पात | 67 | 25.08 | 42.8 | 46.7 | 17.70 | 21.63 | 8.41 | 46 |
| | व्यापार | 182 | 505.29 | 533.3 | 588.6 | 27.98 | 83.30 | 9.40 | 14 |
| 2003-04 | जोड़ | 400 | 2506.7 | 3273.4 | 3392.5 | 766.71 | 885.79 | 3.51 | 26 |
| | ऑटोमोबाइल | 84 | 2829 | 3016.0 | 3031.4 | 186.96 | 202.34 | 0.51 | 07 |
| | साफ्टवेयर | 67 | 555.51 | 655.7 | 766.2 | 100.20 | 210.71 | 14.42 | 28 |
| | इस्पात | 67 | 43.56 | 63.1 | 66.0 | 19.55 | 22.41 | 4.33 | 34 |
| 2004-05 | व्यापार | 182 | 747.08 | 811.0 | 889.5 | 63.89 | 142.45 | 8.83 | 16 |
| | जोड़ | 400 | 4175.2 | 4545.8 | 4753.1 | 370.59 | 577.90 | 4.36 | 12 |
| | ऑटोमोबाइल | 84 | 3617.2 | 3650.9 | 3652.2 | 33.704 | 34.984 | 0.04 | 01 |
| | साफ्टवेयर | 67 | 542.08 | 470.9 | 495.7 | (-71.227) | (-46.35) | 5.02 | 09 |
| | इस्पात | 67 | 104.17 | 98.5 | 150.2 | (-5.63) | 46.04 | 34.40 | 31 |
| | व्यापार | 182 | 1039.33 | 1016.3 | 1056.7 | (-22.99) | 17.34 | 3.82 | 02 |
| | जोड़ | 400 | 5302.8 | 5236.7 | 5354.8 | (-66.145) | 52.02 | 2.21 | 01 |

जरी.....

परिशिष्ट - 3

विभाग द्वारा की गई वृद्धि/संशोधन कर अनुपालन (निवारण टीम वॉ में से किसी एक या दो) लागू वाली कर्मियों

| निर्वाचन वॉ | क्षेत्र | निवारण टीम वॉ में किसी एक या दो में लागू वाली तथा अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित कर्मियों की संख्या | कर्मियों द्वारा विवरित कुल आय | विभाग द्वारा निर्धारित कुल आय | लेखापरीक्षा द्वारा परिकल्पित कुल आय | विभाग द्वारा वृद्धि (का 5 का 4) | लेखापरीक्षा द्वारा परिकल्पित कुल आय तथा विवरित कुल आय के बीच अंतर (समाप्ति वृद्धि (का 6 का 4) | कुल आय के प्रतिशत के स्तर में कमी न की गई समाप्तना (लेखापरीक्षा अनुसार) (का 8 का 7)/का 6 | विवरण दर्शाते करने के स्तर पर कर्मियों द्वारा अनुपालन (का 4 का प्रतिशत के स्तर में का 8) % में |
|-------------|-------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2002-03 | ओटोमोबाईल | 34 | 262.97 | 321.3 | 332.8 | 58.29 | 69.81 | 3.46 | 21 |
| | साफ्टवेयर | 59 | 115.81 | 654.6 | 981.0 | 538.77 | 865.20 | 33.28 | 88 |
| | इस्पात | 76 | 118.50 | 260.5 | 315.4 | 142.05 | 196.89 | 17.39 | 62 |
| | व्यापार | 95 | 94.00 | 199.4 | 199.7 | 105.39 | 105.70 | 0.16 | 53 |
| | जोड़ | 264 | 591.28 | 1435.8 | 1828.9 | 844.49 | 1237.60 | 21.49 | 68 |
| 2003-04 | ओटोमोबाईल | 47 | 277.47 | 367.2 | 384.9 | 89.693 | 107.39 | 4.60 | 28 |
| | साफ्टवेयर | 95 | 1465.94 | 1410.4 | 1620.6 | (-55.52) | 154.68 | 12.97 | 10 |
| | इस्पात | 106 | 143.39 | 247.4 | 242.4 | 103.98 | 98.97 | (-2.07) | 41 |
| | व्यापार | 127 | 226.23 | 285.3 | 292.4 | 59.06 | 66.16 | 2.43 | 23 |
| | जोड़ | 375 | 2113.03 | 2310.2 | 2540.2 | 197.21 | 427.20 | 9.05 | 17 |
| 2004-05 | ओटोमोबाईल | 62 | 1448.51 | 1500.0 | 2720.8 | 51.446 | 1272.3 | 44.87 | 47 |
| | साफ्टवेयर | 106 | 2476.65 | 841.8 | 1980.8 | (-1634.9) | (-495.88) | 57.50 | 25 |
| | इस्पात | 132 | 327.03 | 394.3 | 396.6 | 67.30 | 69.55 | 0.57 | 18 |
| | व्यापार | 152 | 626.83 | 711.9 | 723.4 | 85.04 | 96.52 | 1.59 | 13 |
| | जोड़ | 452 | 4879.03 | 3448.0 | 5821.5 | (-1431.1) | 942.52 | 40.77 | 16 |

2007 की प्रतिवेदन संख्या 8 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

परिशिष्ट-5

टी डी एस/टी सी एस योजनाओं के कार्यान्वयन पर समीक्षा

(पैरा 2.9.1.2 देखें)

| क्रम सं. | प्रकार का नाम | क्षेत्रवार प्रभावी कर कटौतीकर्ता | | | | | सहकारी समितियां | वित्तीय संस्थाएं | राज्य सरकार के अधीन कोषाधिकारी/आ सं अ | केन्द्र सरकार के अधीन आ सं अ और भु ले अ | स्थानीय निकाय | अन्य | क्षेत्रवार जोड़ | विभाग द्वारा बताए गए कुल प्रभावी कर कटौतीकर्ता |
|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------|-----------------|------------------|---------------------------------------|---|---------------|---------|-----------------|--|
| | | कालेज | सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम | स्वायत्त निकाय | कम्पनियां | कामगार | | | | | | | | |
| 1 | महाराष्ट्र | 904 | 76 | 192 | 142948 | 184390 | 9995 | 5050 | 659 | 28251 | 228160 | 600625 | 27899 | |
| 2 | गुजरात | 731 | 63 | 311 | 49294 | 59346 | 2 | 2455 | 96 | 162 | 0 | 112460 | 300 | |
| 3 | दिल्ली | 216 | 177 | 275 | 128561 | 5302 | 4852 | 1614 | 6344 | 283 | 44156 | 191780 | 0 | |
| 4 | हिमाचल प्रदेश | 0 | 451 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3644 | 0 | 3379 | 0 | 7477 | 5140 | |
| 5 | गोवा | 2201 | 19 | 3 | 3314 | 2148 | 0 | 217 | 22 | 13 | 0 | 7937 | 4492 | |
| 6 | पंजाब | 182 | 68 | 2 | 0 | 21230 | 4082 | 5223 | 57 | 12588 | 916 | 44348 | 6337 | |
| 7 | पंजाब (सं रा क्षे) | 18 | 5 | 18 | 7429 | 333 | 312 | 296 | 93 | 1 | 58 | 8563 | 0 | |
| 8 | पश्चिम बंगाल | 584 | 0 | 154 | 82728 | 18433 | 56 | 11801 | 257 | 4378 | 8322 | 126713 | 22345 | |
| 9 | असम | 17 | 50 | 179 | 5118 | 23030 | 19 | 14388 | 0 | 87 | 2727 | 45615 | 5350 | |
| 10 | आंध्र प्रदेश | 4466 | 58 | 417 | 45298 | 36 | 5314 | 99283 | 259 | 22051 | 0 | 177182 | 0 | |
| 11 | राजस्थान | 420 | 37 | 233 | 19768 | 88 | 401 | 20544 | 94 | 452 | 0 | 42037 | 13361 | |
| 12 | केरल | 727 | 322 | 171 | 14929 | 10178 | 3534 | 18875 | 367 | 1223 | 0 | 50326 | 7707 | |
| 13 | तमिलनाडु | 2153 | 90 | 1089 | 54038 | 15002 | 4892 | 5264 | 68 | 1133 | 9921 | 93650 | 45227 | |
| | जोड़ | 12619 | 1416 | 3047 | 553425 | 339516 | 33459 | 188654 | 8316 | 74001 | 294260 | 1508713 | 110259 | |

आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ (सं रा क्षे) और दिल्ली में विभाग ने सुसंगत डाटा उपलब्ध नहीं कराया

परिशिष्ट - 6

(पैरा 2.10.1 देखें)

स्थायी स्थापना से सम्बन्धित आय के अवधारण में अस्पष्टताएं

(लाख रुपये में)

| क्रम सं. | निर्धारिती का नाम | निर्धारण वर्ष | धारा के अन्तर्गत निर्धारण | गलती का स्वरूप | राजस्व प्रभाव |
|----------|---|----------------------|---------------------------|--|---------------|
| 1 | जल होटलस कं. लि. | 1999-2000 से 2003-04 | 143 (3) | पी ई के कारण आय के लिए लागू 30 % के प्रति रायल्टी और तकनीकी फीस से आय पर 20 % की दर पर टी डी एस प्रभावित किया गया। | 33.75 |
| 2 | ट्रैक्टीबल इंडस्ट्री इंजीनियरिंग | 2002-03 | 143 (3) | रायल्टी और तकनीकी फीस से आय पर लागू 20 % की बजाय 10 % की दर पर कर लगाया गया चूंकि कम्पनी एक पी ई के माध्यम से प्रचालन कर रही थी। | 27.47 |
| 3 | एल जी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन | 2002-03 | 143 (3) | रायल्टी और तकनीकी फीस से आय पर 20 % की बजाय 15 % की दर पर कर लगाया गया चूंकि कम्पनी एक पी ई के माध्यम से प्रचालन कर रही थी। | 21.83 |

परिशिष्ट-7

(पैरा 2.10.2 देखें)

अनिवासियों को किए गए भुगतान के सम्बन्ध में स्रोत पर कर की कटौती न करना व्यय अननुमत करने की विफलता

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | आ क आ का प्रभार | निर्धारिती का नाम | निर्धारण वर्ष | भुगतान का स्वरूप | अननुमत की जाने वाली राशि | कर प्रभाव |
|---------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | डी आई टी (आई टी) 3 (II) मुम्बई | मैसर्ज ओ एन जी सी लि. | 2004-05 | सेवा प्रभार | 0 | 95.70 |
| 2 | हैदराबाद | मैसर्ज बी एच सी एग्रो इंडिया | 2004-05 | तकनीकी फीस | 221.00 | 87.65 |
| 3 | सी आई टी- I चेन्नई | मैसर्ज जे बी एम संग वू प्रा. लि. | 2002-03 | रायल्टी | 121.36 | 43.32 |
| 4 | अहमदाबाद | मेघमणि डाईस एंड इंटरमीडिएटस | 2003-04 | तकनीकी फीस/रायल्टी | 104.27 | 42.63 |
| 5 | सी आई टी I, चेन्नई | मैसर्ज वी ए टैक वैग टैग लि. | 2002-03 | तकनीकी फीस | 115.36 | 41.18 |
| 6 | अहमदाबाद | शाह एलायस | 2003-04 2004-05 | तकनीकी फीस/रायल्टी | 29.58 23.45 | 19.28 |
| 7 | सी आई टी- III ,चेन्नई | मैसर्ज सैफ सोनी प्रा.लि. | 2001-02 एवं 2002-03 | रायल्टी | 28.06 10.32 | 14.78 |
| 8 | अहमदाबाद | विशाल एक्सपोर्ट्स | 2002-03 2003-04 2004-05 | तकनीकी फीस/रायल्टी | 13.03 16.35 10.56 | 14.45 |

परिशिष्ट-8
निर्धारण से छूट गयी आय
(पैरा 2.11.1 देखें)

(लाख रूपये में)

| कं सं. | आ क आ का प्रभार | निर्धारिती का नाम | निर्धारण वर्ष | निर्धारण से छूट गयी आय | छूट गयी आय पर कर प्रभाव (ब्याज सहित) |
|-------------|---------------------|--|-------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1 | दिल्ली | मैसर्ज मल्टी मैनटेक इंटरनेशनल (प्रा) लि. | 2001-02 | 83.56 | 46.76 |
| 2 | दिल्ली | मैसर्ज जे जी इलेक्ट्रोज़ (प्रा) लि. | 2003-04 | 111.63 | 46.46 |
| 3 | आ क आ- VI, दिल्ली | मैसर्ज ज़ेपलिन मोबाईल सिस्टमस इंडिया लिमिटेड | 2003-04 | 98.69 | 36.27 |
| 4 | मु आ क आ- I, बंगलौर | जे एल ओमनीसर्वर (प्रा) लि. | 2004-05 | 83.41 | 36.02 |
| 5 | आ क आ- II कोयम्बटूर | मार्बसमैन पेपर बाक्सेज़ | 2002-03 | 91.66 | 32.72 |
| 6 | आ क आ- I, सी बी ई | एस. अब्बास | 2004-05 | 67.79 | 24.32 |
| 7 | आ क आ- VI, दिल्ली | मैसर्ज ज़ेको एयरकान इंडस्ट्रीज़ (प्रा) लि. | 2003-04 | 54.94 | 22.26 |
| 8 | दिल्ली | मैसर्ज के बी टी प्लास्टिकस (प्रा) लि. | 2004-05 | 55.62 | 21.64 |
| 9 | दिल्ली | श्रीमती ज्ञान देवी कपूर | 2003-04 | 45.76 | 17.09 |
| 10 | दिल्ली | मैसर्ज मोली कमानी फ़्रेट लिमिटेड | 2001-02 | 28.31 | 15.76 |
| 11 | दिल्ली | श्री ईश्वर सिंह प्रोप. मैसर्ज न्यू शिओ टैंकर्स | | 43.04 | 15.62 |
| 12 | आ का आ जलपाई गुड़ी | सीताराम अग्रवाल | 2003-04 & 2004-05 | 41.80 | 13.48 |
| 13 | आ क आ XIX कोलकाता | बीरेन्द्र कुमार मोहन्ती | 2003-04 | 37.46 | 13.42 |
| 14 | आ क आ- II, दिल्ली | मैसर्ज एम के आर फ़ोजन फूडस एक्सपोर्टर्स लि. | 2002-03 | 26.45 | 12.96 |
| 15 | आ क आ- II, कोलकाता | कमिर्शियल क्लीनिंग एजेंसीज़ | 2003-04 | 34.63 | 12.72 |
| 16 | आ क आ II, दिल्ली | मैसर्ज मारुति बिल्डर्स एंड प्रोमोटर्स (प्रा) लि. | 2002-03 | 25.36 | 12.70 |
| 17 | हैदराबाद | मैसर्ज प्रसाद होम्स (प्रा) लि. | 2005-06 | 33.36 | 12.21 |
| 18 | आ क आ XXI, कोलकाता | मैसर्ज मुबेर आईस एंड कं. | 2003-04 | 31.02 | 12.11 |
| 19 | आ क आ XX, कोलकाता | मैसर्ज सिसिर कुमार अधिकारी | 2003-04 | 23.47 | 11.43 |
| 20 | आ क आ- IX, दिल्ली | मैसर्ज निधि मित्तल प्राप. ऑफ मैट्रिक्स साल्यूशनस | 2004-05 | 28.44 | 10.79 |
| 21 | दिल्ली | मैसर्ज लर्क आटो इंजीनियरिंग (प्रा) लि. | 2004-05 | 26.78 | 10.57 |
| 22 | दिल्ली | मैसर्ज एमबिएंस इन्टीरियर्स | 2002-03 | 20.98 | 10.50 |
| 23 | आ क आ- IV, कोलकाता | मैसर्ज श्री आटोमोबाईल्स | 2003-04 | 40.83 | 10.41 |
| जोड़ | | | | 1134.99 | 458.22 |

परिशिष्ट-9

(पैरा 2.11.2 देखें)

टी डी एस की कटौती न होने/टी डी एस की कम कटौती होने वाले मामलों की सूची

(लाख रुपये में)

| क्र. सं. | आ क आ का प्रभार | कर कटौतीकर्ता | वित्तीय वर्ष | देय टी डी एस | ब्याज | शास्ति | जोड़ |
|----------|-----------------|---|------------------------------|--------------|-------|--------|-------|
| 1. | वडोदरा | टी डी डब्ल्यू इंडिया लि. | 2002-03 | 43.18 | 0 | 43.18 | 86.36 |
| 2 | गुडगांव | मैसर्ज हांडा मोटर साइकिल्स एंड स्कूटर इंडिया लि. | 2002-03 | 23.69 | 8.84 | 23.69 | 56.22 |
| 3 | पुणे | स्पेशल लैंड एक्वीजीशन आफिस-14, 15 एवं 16 | 2004-05 एवं 2005-06 | 26.07 | 2.79 | 26.07 | 54.93 |
| 4 | डिब्रूगढ़ | मैसर्ज यू बी आई, नई दिल्ली | 2004-05 एवं 2005-06 | 26.40 | 0 | 26.40 | 52.80 |
| 5 | ग्वालियर | जमना आटो इंडस्ट्रीज़ (प्रा) लि. | 2002-03 एवं 2003-04 | 24.99 | 2.25 | 24.99 | 52.23 |
| 6 | इन्दौर | हिन्दुस्तान मोटर्स | 2002-03 एवं 2003-04 | 22.95 | 0.40 | 22.95 | 46.30 |
| 7 | धनबाद | मैसर्ज महानदी कोलफील्डस लि. | 2002-03 | 17.20 | 7.67 | 17.20 | 42.07 |
| 8 | चेन्नई | श्रीमती बीना जे. महत्ता | 2001-02 | 18.97 | 0 | 18.97 | 37.94 |
| 9 | हैदराबाद | मैसर्ज कपिल चिट फंडस प्रा.लि. | 2004-05 | 17.71 | 0.92 | 17.71 | 36.34 |
| 10 | दिल्ली | आहरण एवं संवितरण अधिकारी, गृह मंत्रालय | 2004-05 | 14.97 | 3.60 | 14.97 | 33.54 |
| 11 | तमिलनाडु | पांडिचेरी खेलकूद प्राधिकरण | 2001-02 से 2004-05 | 15.70 | 0 | 15.70 | 31.40 |
| 12 | सोनीपत | एटलस साइकिल्स लि. | 2002-03 एवं 2003-04 | 12.67 | 2.23 | 12.67 | 27.57 |
| 13 | हैदराबाद | मैसर्ज इंडोअमरीकन प्रोफेशनल एजुकेशन नेटवर्क प्रा. लि. | 2004-05 | 11.04 | 1.38 | 11.04 | 23.46 |
| 14 | हैदराबाद | मैसर्ज बायो टेक मेडिकल लि. | 2002-03 | 9.09 | 4.21 | 9.09 | 22.39 |
| 15 | इन्दौर | पाइथको फार्मास्युटिकल्स लि. | 2002-03 एवं 2003-04 | 11.08 | 0 | 11.08 | 22.16 |
| 16 | इन्दौर | एल आई सी आफ इंडिया | 2002-03 एवं 2003-04 | 8.33 | 0 | 8.33 | 16.66 |
| 17 | कोलकाता | ए एफ टी इंडस्ट्रीज़ लि. | 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 | 6.79 | 3.06 | 6.79 | 16.64 |
| 18 | चेन्नई | चेट्टीनाडु लाजिस्टिक्स (प्रा) लि. | 2000-01 2001-02 | 6.16 | 3.68 | 6.16 | 16.00 |
| 19 | करनाल | करनाल सुधार न्यास | 2002-03 | 6.35 | 2.37 | 6.35 | 15.07 |
| 20 | दिल्ली | मैसर्ज श्रष्टा प्रापर्टीज़ (प्रा.) लि. | 2002-03 | 6.43 | 2.15 | 6.43 | 15.01 |
| 21 | इन्दौर | कम्प्यूटर साईस कारपोरेशन (प्रा.) लि. | 2002-03 एवं 2003-04 | 7.47 | 0 | 7.47 | 14.94 |
| 22 | हैदराबाद | मैसर्ज जोनसन ग्रामर स्कूल एजुकेशन सोसाइटी | 2002-03 | 5.82 | 2.34 | 5.82 | 13.98 |
| 23 | इन्दौर | धर टैक्सटाइलस मिल्स | 2002-03 एवं | 6.84 | 0 | 6.84 | 13.68 |

2007 की प्रतिवेदन संख्या 8 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

| क्र. सं. | आ क आ का प्रभार | कर कटौतीकर्ता | वित्तीय वर्ष | देय टी डी एस | ब्याज | शास्ति | जोड़ |
|----------|-----------------|--|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | 2003-04 | | | | |
| 24 | रांची | जीवन एन्टरप्राइसेस | 2004-05 | 6.50 | 0 | 6.50 | 13.00 |
| 25 | मुम्बई | मैसर्ज श्री बालाजी टैक्सटाइल | 2001-02 | 4.74 | 2.57 | 4.74 | 12.05 |
| 26 | कोलकाता | इडिया स्टीमशिप कं. लिमिटेड | 2002-03 एवं 2003-04 | 5.10 | 1.04 | 5.10 | 11.24 |
| 27 | मुम्बई | श्री विनोद बी खन्ना | 2003-04 | 4.85 | 1.26 | 4.85 | 10.96 |
| 28 | जोरहाट | मैसर्ज टेकनोपावर एन्टरप्राइसेस (प्रा.) लि. | 2002-03 & 2003-04 | 4.83 | 0.43 | 4.83 | 10.09 |
| | | जोड़ | | 375.92 | 53.19 | 375.92 | 805.03 |

परिशिष्ट-10
(पैरा 2.11.3 देखें)
सरकारी लेखा में टी डी एस प्रेषित करने में विफलता

(लाख रुपये में)

| क्र. सं. | आ क आ का प्रभार | कर कटौती कर्ता | वित्तीय वर्ष | टी डी एस | ब्याज | शास्ति | जोड़ राजस्व प्रभाव |
|----------|-----------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 1 | भोपाल | मैसर्ज म प्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण | 2002-03 | 36.33 | 0 | 36.33 | 72.66 |
| 2 | मुम्बई | मैसर्ज प्रिसिज़न फासनर्स लिमिटेड | 2002-03 | 29.66 | 2.00 | 29.66 | 61.32 |
| 3 | मुम्बई | मैसर्ज स्टैण्डर्ड कांट्रैक्ट मैनेजमेंट साल्यूशन प्रा. लि. | 2002-03 | 18.11 | 2.18 | 18.11 | 38.40 |
| 4 | हैदराबाद | मैसर्ज श्रीरीन फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट (प्रा.) लि. | 2002-03 | 11.06 | 4.48 | 11.06 | 26.60 |
| 5 | भोपाल | मैसर्ज गवालियर शूगर कम्पनी लि. | 2000-01 | 7.91 | 5.65 | 7.91 | 21.47 |
| 6 | भुवनेश्वर | प्रिंसिपल, राजधानी कालेज | 2002-03 | 6.31 | 2.55 | 6.31 | 15.17 |
| 7 | हैदराबाद | मैसर्ज इंडिया रबर प्राइवेट लि. | 2002-03 | 4.77 | 1.93 | 4.77 | 11.47 |
| 8 | अहमदाबाद | एम एस के प्रोजेक्ट्स | 2001-02 | 4.49 | 2.24 | 4.49 | 11.22 |
| | | जोड़ | | 118.64 | 21.03 | 118.64 | 258.31 |

परिशिष्ट-11

कारबार व्यय की गलत अनुमति
(पैरा 2.11.5 देखें)

(लाख रूपये में)

| क्र. सं. | मु आ क आ का प्रभार | कठौतीकर्ता का नाम | अननुमत किए जाने के लिए अपेक्षित भुगतान | कर प्रभाव |
|----------|--------------------|---|--|----------------|
| 1 | सूरत | गुजरात ग्लास (प्रा.) लि. | 263.41 | 96.36 |
| 2 | सूरत | बीडिओकोन नर्मदा ग्लास लि. | 238.56 | 87.27 |
| 3 | सूरत | गुजरात गार्जियन लि. | 200.08 | 73.19 |
| 4 | सूरत | हरियाणा शीट ग्लास लि. | 190.55 | 69.70 |
| 5 | सूरत | गुजरात बोरोसिल लि. | 189.05 | 69.15 |
| 6 | वडोदरा | बैल ग्रानिटो सेरामिका लि. | 174.37 | 63.78 |
| 7 | सूरत | गुजरात ग्लास (प्रा.) लि. | 169.30 | 61.93 |
| 8 | अहमदाबाद | गुजरात महाराष्ट्र रोडवेज़ | 144.44 | 52.85 |
| 9 | सूरत | प्रीमैक्स सर्विसेज | 135.00 | 49.39 |
| 10 | वडोदरा | गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कम्पनी लि. | 126.95 | 46.43 |
| 11 | अहमदाबाद | रिलायंस इंड लि. | 124.17 | 45.42 |
| 12 | वडोदरा | सबाना सेरामिक्स लि. | 116.26 | 42.53 |
| 13 | वडोदरा | अलेमबिक लिमिटेड | 93.55 | 34.22 |
| 14 | वडोदरा | अलेमबिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 85.57 | 31.30 |
| 15 | वडोदरा | गुजरात राज्य बिजली निगम | 76.04 | 27.81 |
| 16 | सूरत | क्लीन ग्लास (प्रा.) लि. | 69.98 | 25.60 |
| 17 | वडोदरा | स्कोट ग्लास प्रा. लि. | 64.01 | 23.41 |
| 18 | सूरत | प्रगति ग्लास प्रा. लि. | 59.93 | 21.92 |
| 19 | वडोदरा | हलदियन ग्लास गुज.लि. | 56.16 | 20.14 |
| 20 | सूरत | मेटास आफ सेवन्थ डे एडवेंटिसट्स | 54.01 | 19.76 |
| 21 | अहमदाबाद | निरमा लिमिटेड | 46.35 | 16.95 |
| 22 | सूरत | वीडिओकोन नर्मदा इलेक्ट्रिकल लि. | 43.88 | 16.05 |
| 23 | सूरत | नाहर कलर्स एंड कोटिंग लि. | 40.30 | 14.74 |
| 24 | सूरत | सृष्टि कारपोरेशन | 39.52 | 14.46 |
| 25 | सूरत | अमरलीला ट्रेडर्स | 36.71 | 14.16 |
| 26 | अहमदाबाद | श्याम इंडस्ट्रीज़ | 38.44 | 14.06 |
| 27 | वडोदरा | सपना केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ | 37.87 | 13.85 |
| 28 | वडोदरा | इन्दु निसान ओक्सो केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ | 29.82 | 11.91 |
| 29 | अहमदाबाद | सेरा सेनिटरीवेयर लिमिटेड | 32.05 | 11.72 |
| 30 | अहमदाबाद | रिलायंस इंड लि. | 31.74 | 11.61 |
| 31 | बंगलौर- 1 | शंकर परफ्यूमरी वर्कस | 26.22 | 10.50 |
| 32 | वडोदरा | केरा डिस्ट्रिक्ट को-ओप मिल्क प्रोड्यूसर्स | 28.64 | 10.48 |
| | | जोड़ | 3062.93 | 1122.65 |

परिशिष्ट 12
(पैरा 2.12.1 देखें)
आयकर और अधिभार का गलत वर्गीकरण

(लाख रुपये में)

| क्र. सं. | प्रभार | मामलों की संख्या | कर प्रभाव |
|----------|----------------------|------------------|----------------|
| 1. | दिल्ली | 241 | 594.36 |
| 2. | पश्चिम बंगाल | 84 | 308.07 |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | 1840 | 447.47 |
| 4. | मध्य प्रदेश | 577 | 100.00 |
| 5. | तमिलनाडु | 137 | 76.24 |
| 6. | उत्तर प्रदेश | 74 | 58.45 |
| 7. | असम | 130 | 10.17 |
| 8. | उड़ीसा | 127 | 168.97 |
| 9. | चंडीगढ़ (सं रा क्षे) | 47 | 91.05 |
| 10. | पंजाब | 12 | 13.45 |
| | जोड़ | 3269 | 1868.23 |

परिशिष्ट 13

खेल संघो/संस्थानों और खेल व्यक्तित्वों के निर्धारण पर समीक्षा

लेखापरीक्षा में माँगे गये मामले और प्रस्तुत किये गये/जाँच किये गये मामलों का राज्यवार ब्यौरा

(पैरा 3.6.3 देखें)

| राज्य | आ क आ प्रभार की संख्या | माँगे गये मामले | लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किये गये/जाँच किये गये मामले | प्रस्तुत न किये गये मामले |
|---------------|------------------------|-----------------|---|---------------------------|
| आन्ध्र प्रदेश | 13 | 135 | 109 | 26 |
| असम | 5 | 105 | 7 | 98 |
| बिहार | 0 | 0 | 0 | 0 |
| चण्डीगढ़ | 2 | 365 | 79 | 286 |
| दिल्ली | 1 | 221 | 134 | 87 |
| गोवा | 1 | 2 | 2 | 0 |
| गुजरात | 4 | 45 | 34 | 11 |
| हरियाणा | 5 | 91 | 52 | 39 |
| हिमाचल प्रदेश | 1 | 6 | 5 | 1 |
| झारखण्ड | 4 | 237 | 17 | 220 |
| कर्नाटक | 10 | 130 | 94 | 36 |
| केरल | 6 | 63 | 34 | 29 |
| मध्य प्रदेश | 7 | 40 | 32 | 8 |
| महाराष्ट्र | 11 | 402 | 179 | 223 |
| उड़ीसा | 3 | 565 | 17 | 548 |
| पंजाब | 11 | 117 | 99 | 18 |
| राजस्थान | 3 | 29 | 27 | 2 |
| तमिलनाडु | 1 | 46 | 46 | 0 |
| उत्तर प्रदेश | 17 | 51 | 51 | 0 |
| पश्चिम बंगाल | 11 | 46 | 32 | 14 |
| जोड़ | 116 | 2696 | 1050 | 1646 |

परिशिष्ट-14

(पैरा 3.9 से 3.29 देखें)

| क्रम सं. | निर्धारिती का नाम/आ क आ प्रभार | निर्धारण वर्ष | धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारण किया गया/निर्धारण की तारीख | गलती का स्वरूप | कर प्रभाव (लाख रुपये में) |
|---|--|---|--|--|---------------------------|
| पैरा संख्या 3.9.2 देखें: धारा 10 (23) के अन्तर्गत अनुमोदन के नवीनीकरण न करने के कारण अनियमित छूट | | | | | |
| 1 | यू पी क्रिकेट एसोसिएशन कानपुर I | 2002-03 | संक्षिप्त फरवरी 2003 | धारा 10 (23) के अन्तर्गत छूट के लिए अनुमोदन का नवीनीकरण न करना | 49.21 (ब्याज सहित) |
| 2 | उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन कटक | 2001-02 | संक्षिप्त 22 अक्टूबर 2002 | धारा 10 (23) के अन्तर्गत अनुमोदन का नवीनीकरण न करना | 21.38 |
| पैरा संख्या 3.12.4 देखें: संचित आय के निवेश न करने/निर्दिष्ट तरीकों में न किये गये निवेश के कारण अनियमित छूट | | | | | |
| 3 | बिहार/झारखण्ड क्रिकेट एसोसिएशन जमशेदपुर | 2001-02 | संक्षिप्त अक्टूबर 2002 | बेशी राशि को विशिष्ट तरीकों में निवेश नहीं किया गया था। | 25.37 |
| 4 | सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन राजकोट | 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 | संक्षिप्त जुलाई 2003 जुलाई 2003 अप्रैल 2004 जून 2005 अप्रैल 2006 | बेशी राशि को विशिष्ट तरीके में निवेश नहीं किया गया था | 20.77 |
| पैरा संख्या 3.14.2 देखें: विशिष्ट निवेश के बिना संग्रह निधि को प्रदान की गई अनियमित छूट | | | | | |
| 5 | मुम्बई क्रिकेट एसोसिएशन डी आई टी (ई), मुम्बई | 2002-03 2003-04 | संक्षिप्त 28 अगस्त 2003 17 मार्च 2005 | विशिष्ट निदेश कि वह संग्रह निधि का भाग बनेगी के बिना आय को प्रदान की गई छूट | 38.14 |
| 6 | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे I | 2002-03 | संक्षिप्त 29 मार्च 2003 | 1.46 करोड़ रुपये की राजस्व आय को स्वैच्छिक, अंशदान के रूप में मानते हुए गलती से संग्रह निधि में लिया गया | 38.56 |
| पैरा संख्या 3.15.2 देखें: मूल उद्देश्यों के पूरा न करने के कारण अनियमित छूट | | | | | |
| 7 | गुजरात भूकम्प राहत निधि के लिए लाभकारी मैच करने के लिए संगठन समिति डी आई टी (छूट) चेन्नई | 2001-02 | संवीक्षा 24 मार्च 2005 | गुजरात भूकम्प की राहत के लिए निधियों के उत्पन्न करने और दान करने के प्रयोजन से, एक दिवसीय क्रिकेट मैच आयोजित किया गया था और 23 मार्च 2001 को | 48.54 |

2007 की प्रतिवेदन संख्या 8 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

| | | | | | |
|--|--|----------------------|--|---|-------------------------|
| | | | | खिलाया गया था। व्यय से अधिक समस्त आय की राशि को गुजरात भूकम्प राहत निधि में दान करने का निर्णय लिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 50.25 लाख रुपये की बेशी राशि को गुजरात भूकम्प राहत निधि में जमा नहीं किया गया था जिसके लिए मैच आयोजित किया गया था। | |
| पैरा संख्या 3.17.2 देखें: स्रोत पर कर की कटौती करने में चूक | | | | | |
| 8 | पाँडीचेरी स्टेट स्पोर्ट्स कौन्सिल पाँडीचेरी | 2001-2002 से 2005-06 | लागू नहीं | पाँडीचेरी स्टेट स्पोर्ट्स कौन्सिल ने विभिन्न खेल व्यक्तित्वों को किये गये भुगतानों से स्रोत पर कर की कटौती नहीं की | 31.40 (शास्ति सहित) |
| पैरा संख्या 3.18.5 देखें: निर्धारण से बची आय | | | | | |
| 9 | कर्नाटक स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन डी आई टी (छूट) बेंगलूर | 2001-02 | संक्षिप्त 28 नवम्बर 2002 | 1.43 करोड़ रुपये तक विज्ञापन आय का कम लेखांकन | 46.89 |
| 10 | यूनाइटेड मोहन बागान फुटबाल टीम कोलकाता IV | 2001-02 2002-03 | संक्षिप्त मार्च 2002 फरवरी 2003 | 51.06 लाख रुपये तक स्पॉन्सरशिप फीस की आय का कम लेखांकन | 23.75 |
| पैरा संख्या 3.20.2 देखें: आय कर विवरणियों का प्रस्तुत न करना/प्रस्तुत करने में विलम्ब | | | | | |
| 11 | पाँडीचेरी स्टेट स्पोर्ट्स कौन्सिल पाँडीचेरी | 2002-03 से 2004-05 | लागू नहीं | विवरणी दाखिल नहीं की गई | 28.08 |
| पैरा संख्या 3.25.2 देखें: खेल व्यक्तित्वों द्वारा प्राप्त किये गये पुरस्कारों के लिए छूट का अनियमित प्रदान करना | | | | | |
| 12 | कुम. कोनेरू हम्पी एण्ड श्री कोनेरू अशोक विजयवाडा | 2001-02 से 2005-06 | संक्षिप्त | गैर अधिसूचित पुरस्कारों को अनियमित छूट | 23.25 |
| पैरा संख्या 3.29.3 देखें: पूँजीगत अभिलाभ की गलत संगणना | | | | | |
| 13 | श्री सचिन आर तेन्दुलकर मुम्बई XIX | 2000-01 2002-03 | संक्षिप्त, 20.03.02 संक्षिप्त, 25.01.03 | पूँजीगत अभिसूचक बाण्डों के अलावा बाण्डों के अन्तरण पर इन्डेक्सेशन के लाभ की गलत अनुमति | 28.38 |

परिवर्णों एवं शब्दों की शब्दावली

| | |
|-----------------------|--|
| 1. ए सी आई टी | सहायक आय कर आयुक्त |
| 2. एडीश सी आई टी | अतिरिक्त आय कर आयुक्त |
| 3. ए जी (ए एण्ड ई) | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) |
| 4. ए ओ | निर्धारण अधिकारी |
| 5. ए एस टी | निर्धारण सूचना प्रणाली |
| 6. ए वाई | निर्धारण वर्ष |
| 7. सी बी डी टी | केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड |
| 8. सी सी आई टी | आय कर मुख्य आयुक्त |
| 9. सी आई टी | आय कर आयुक्त |
| 10. डी सी आई टी | आयकर उप आयुक्त |
| 11. डी जी आई टी | महानिदेशक आय कर |
| 12. डी आई टी (आई टी) | निदेशक आय कर (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) |
| 13. डी आई टी (एस) | आयकर निदेशालय (प्रणाली) |
| 14. डी आर ई | आस्थगित राजस्व व्यय |
| 15. डी टी ए ए | दोहरा कराधान परिहार करार |
| 16. ई ओ यू | निर्यातान्मुख ईकाईयां |
| 17. एफ आई आई | वित्तीय संस्थानिक निवेशक |
| 18. एफ वाई | वित्तीय वर्ष |
| 19. आई आर एल ए | व्यैक्तिक चालू लेजर खाता |
| 20. आई टी ए टी | आय कर अपीलीय अधिकरण |
| 21. आई टी डी | आय कर विभाग |
| 22. आई टी ओ | आय कर अधिकारी |
| 23. जे सी आई टी | संयुक्त आय कर आयुक्त |
| 24. एल सी वी/एच सी वी | हल्के वाणिज्यिक वाहन/भारी वाणिज्यिक वाहन |
| 25. एम ए बी | सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड |
| 26. एम ए टी | न्यूनतम एकान्तर कर |
| 27. एम आई सी आर | चुम्बकीय स्याही चरित्र मान्यता |
| 28. एन सी सी | राष्ट्रीय कम्प्यूटर केन्द्र |
| 29. एन आर आई | अनिवासी भारतीय |
| 30. एन एस डी एल | राष्ट्रीय प्रतिभूति जमाकर्ता लिमिटेड (रा प्र ज लि) |
| 31. ओ सी बी | समुद्रपारीय निगमित निकाय |
| 32. ओ एल टी ए एस | ऑनलाइन कर लेखाकरण प्रणाली |
| 33. पी ए जी | प्रधान महालेखाकार |
| 34. पी ए एन | स्थाई लेखा संख्या |
| 35. पी ए ओ | भुगतान एवं लेखा कार्यालय |
| 36. पी ई | स्थायी स्थापना |
| 37. आर बी आई | भारतीय रिजर्व बैंक |
| 38. आर सी सी | क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र |
| 39. एस ई जेड | विशेष आर्थिक क्षेत्र |
| 40. एस टी पी | सोफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क |
| 41. टी ए एन | कर कटौती लेखा संख्या |
| 42. टी ए एस | कर लेखाकरण प्रणाली |
| 43. टी सी एस | स्रोत पर संग्रहीत कर |

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 44. टी डी एस | स्रोत पर काटा गया कर |
| 45. टी आई एन-एफ सी | कर सूचना नेटवर्क-सरलीकरण केन्द्र |
| 46. यू जी सी | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग |
| 47. यू टी | संघ राज्य क्षेत्र |
| 48. जेड ए ओ | क्षेत्रीय लेखा कार्यालय |

सन्दर्भिका

1. अनुसंधान एवं सांख्यिकीय निदेशालय द्वारा आयकर विभाग की प्रगति रिपोर्ट
2. सुसंगत वर्षों के लिए बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्टें (आई आर डी ए)
3. सुसंगत वर्षों के लिए जनरल इश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जीवन बीमा कमीशन, दी ओरियन्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, यूनाइटेड इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्टें
4. आर बी आई-स्लपये में भुगतानों के भारत का समग्र शेष
5. सुसंगत वर्षों के लिए भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण
6. आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के वित्त लेखे।